न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 10 / 2022

अपीलांट :—

01. घनश्याम पुत्र शेषाराम जाति नायक निवासी— गुड़ारामसिंह हाल निवासी— सोजतरोड़, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टान :—

01. रोशनलाल पुत्र शेषाराम जाति नायक निवासी— ढुढालाम्बोडी,
02. कमला पत्नी मोहनलाल
03. विनोद पुत्र मोहनलाल
04. नितेश पुत्र मोहनलाल जातियान— नायक, निवासीयान— सोजत रोड़, तहसील सोजत, जिला— पाली।
05. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ारामसिंह तहसील सोजत, जिला— पाली।
06. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुड़ारामसिंह तहसील सोजत, जिला— पाली।

<u>म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 695 के स्वीकृत दिनांक 09.02.2013 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ारामसिंह</u>

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 20/9/22

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) (राज.)

अधिवक्ता मय अपीलांट ने उपस्थित होकर यह म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा एल.आर.एक्ट म्यूटेशन संख्या 695 के स्वीकृत दिनांक 09.02.2013 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ारामसिंह आदेश के विरूद्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ढुण्डालाम्बोडी के खसरा संख्या 123, 124 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2400 हैक्टर कृषि भूमि घीसा, शेषा पिसरान नेना का 01/04 हक हिस्सा कृषि भूमि आई हुई स्थित है। घीसाराम व शेषाराम का निर्वसीयती स्वर्गवास हो चुका है, जिससे उक्त कृषि भूमि के खातेदार शेषाराम की सम्पति में घीसाराम, शेषाराम(फौत) पि0 नेनाराम(फौत), नारायणी(फौत) पत्नि शेषाराम, मोहनलाल(फौत), रोशनलाल, घनश्याम, दिनेश, ढगलीदेवी, संतोष देवी, सुशीला पि0 शेषाराम(फौत), कमला पत्नि मोहनलाल(फौत), विनोद, नितेश, किरण पि0 मोहनलाल(फौत) नेनाराम की उपरोक्त वंशावली के अनुसार उक्त कृषि भूमि के खातेदार शेषाराम के निर्वसीयती स्वर्गवास हो जाने से सभी का बराबर बराबर हक अधिकार निहित हुआ। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवा दिया है तथा तत्कालिन पटवारी हल्का के द्वारा सभी विधिक वारिसान की जांच किए बगैर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया तथा तत्कालिन सरपंच द्वारा बिना सभी विधिक वारिसान को नोटिस किए नामान्तरण संख्या 695 दिनांक 09.02.2013 को स्वीकृत कर दिया गया जो नामान्तरण अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के अकेले के कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। नामान्तरणकरण संख्या 695 अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एंव अप्रभावी होने से उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपीलान्ट भी शेषाराम के प्रथम श्रेणी का विधिक वारिसान है तथा उपरोक्त सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरणकरण दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

एवं न्याय संगत हे। इसलिए यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट पेश है। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट ने धारा 5 मयाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अपनी मजदूरी हेतु बाहर गया हुआ था तथां अपने भाई रोशनलाल पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा करता था तथा अपीलान्ट ने हाल ही में अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकले दिनांक 07.12.2021 को प्राप्त करने पर अपीलान्ट को जानकारी में आया कि उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं है, तब अपीलान्ट ने म्यूटेशन की प्रमाणित नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 04.05.2022 को प्रस्तुत किया गया तथा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 22.05.2022 को प्राप्त होने पर पूर्ण जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि शेषाराम के सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए यह अपील तैयार कर अन्दर म्याद पेश की गई है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपीलमय श्पथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 695 दिनांक 09.02.2013 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत गुडारामसिंह को निरस्त फरमाया जाने तथा शेषाराम के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरणकरण दर्ज करने का आदेश किये जाने की ईस्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिसेस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजें दिलवाए जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.08.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि कि सरहद मौजा ढुण्डालाम्बोडी के खसरा संख्या 123, 124 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2400 हैक्टर कृषि भूमि घीसा, शेषा पिसरान नेना का 01/04 हक हिस्सा कृषि भूमि में म्यूटेशन संख्या 695 दिनांक 09.02.2013 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत गुडारामसिंह को बिना शेषाराम के विधिक वारिसान की जॉच किये गलत एवं अवैध रूप से पारित उक्त नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाने तथा पुनः शेषाराम के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने का आदेश किये जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नामान्तरणकरण संख्या 695 की प्रतिलिपि, जमाबंदी की प्रतिलिपि, मोहनलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां आदि दस्तावेजात का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में वर्णित देरीना कारण युक्ति युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत गुडारामसिंह द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय मृतक शेषाराम के समस्त विधिक वारिसानों की जॉच नही की जाना परिलक्षित होता है। जिससे सरहद मौजा ढुण्डालाम्बोडी के खसरा संख्या 123, 124 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2400 हैक्टर कृषि भूमि घीसा, शेषा पिसरान नेना का 01/04 हक हिस्सा कृषि भूमि में गलत एवं अवैधानिक रूप से म्यूटेशन संख्या 695 दिनांक 09.02.2013 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत गुडारामसिंह को निरस्त किया जाना तथा शेषाराम के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार सोतज को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
पोजन (जिला-पाली) राज

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। मौजा ढुण्डालाम्बोडी के खसरा संख्या 123, 124 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2400 हैक्टर कृषि भूमि घीसा, शेषा पिसरान नेना का 01/04 हक हिस्सा कृषि भूमि में म्यूटेशन संख्या 695 दिनांक 09.02.2013 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत गुडारामसिंह को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मौजा ढुण्डालाम्बोडी के खसरा संख्या 123, 124 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.2400 हैक्टर कृषि भूमि घीसा, शेषा पिसरान नेना का 01/04 हक हिस्सा कृषि भूमि में समस्त विधिक वारिसानों की पुनः नए सिरे से जांच करके विधिसम्मत् नामान्तरकरण दर्ज करे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 20/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज